सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व
वाद संख्या – 01/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

छोटी देवी पत्नि कजोड जाति कीर निवासी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर
वादी

बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 9.5.18**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम केसरपुरा ग्राम पंचायत जूनियां जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 5707 हैक्ट रकबा 0.27 है. किस्म बारानी का पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी वादीयां के कब्जे काश्त आधिपत्य व प्रतिकुल कब्जे की आराजीयात है। जो वादीया के तन्हा कब्जा एंव आधिपत्य, प्रतिकुल कब्जे में चली आ रही है। उक्त आराजीयात पर वादीया व उसके परिवारजन कदीमी अर्से से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात पर वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादी जबरन बेदखल करने पर आमादा है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादीया को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावें व राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम का अमल दरामद किया जावें। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीया का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाने का निवेदन किया है। वाद स्वीकार फरवाया जावें।

वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। जवाब सरकार दिनांक 12.5.17 को पेश हुआ । जवाब सरकार अनुसार वादिया द्वारा कब्जे के साक्ष्य में वर्ष 2011,2012,2013,2014,व 2016 के कब्जे संबंध में साक्ष्य ही प्रस्तुत किये है जबकि राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार 2.1.2005 से लगातार कब्जा काश्त होने पर ही निरस्त योग्य है। जो वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात की भूमि सरकारी है। जिस पर से बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्रतिवादी को है। वादपत्र के खसरा नम्बर 5707 राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज है एवं किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा रही है। वादीया द्वारा काफी वर्षो से कब्जा होना का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वाद पत्र में वर्णित भूमि सरकारी होने से प्रतिवादी द्वारा वादी को बेदखल किये जाने का अधिकार है। वादी सरकारी भूमि को हडपने की नियत से वाद पत्र पेश किया है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया ।

अतः वादी का दावा वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम केसरपुरा ग्राम पंचायत जूनियां जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 5707 हैक्ट रकबा 0.27 है. किस्म बारानी राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज *होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी